# स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाय.)

**उद्देश्य :–**

ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की स्थायी आय में वृद्धि करना। आय वृद्धि इस स्तर तक लाना कि हितग्राही परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें।

**गरीबी रेखा की सीमा :–**

ग्रामीण क्षेत्र में कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर दिये गये विभिन्न पैरामीटर के अनुसार 0 से 52 अंक वाला परिवार गरीब माना गया।

**आय वृद्धि के उपाय :–**

विभिन्न व्यवसाय में बैंक ऋण एवं शासन अनुदान रू. 50,000/– ऋण सीमा व्यक्तिगत, रू. 3,00,000/– ऋण सीमा समूह (एस.एच.जी.)

**ऋण सुविधा :–**

व्यक्तिगत या समूह में।

**समूह :–**

10 से 20 बी.पी.एल. परिवार या 70% बी.पी.एल. एवं 30% ए.पी.एल. समूह 06 माह तक बचत राशि जमा करेगा। 06 माह सही संचालन–I ग्रेडिंग (115/80 अंक पात्र)। सी.सी. लिमिट 25000/–, 15,000/–ऋण बैंक द्वारा, 10,000/–अनुदान डी.आर.डी.ए.। 06 माह पश्चात्–II ग्रेडिंग (135 में से 108 अंक पात्र)। III ग्रेडिंग पश्चात् – ऋण प्रकरण तैयार करना।

**ऋण प्रकरण कार्यवाही :–**

- संबंधित क्षेत्र के ए.डी.ई.ओ./पी.सी.ओ. द्वारा ऋण प्रकरण तैयार करना।
- ऋण प्रकरण जनपद में पंजीयन एवं सी.ई.ओ., जनपद पंचायत हस्ताक्षर बाद संबंधित बैंक शाखा में प्रेषित करना।
- बैंक शाखा प्रकरण में 15 से 80 दिन में निराकरण।
- ऋण स्वीकृति की दशा में हितग्राही/एस.एच.जी. के खाते में राशि का अंतरण।
- राशि आहरण कर एस.एच.जी./हितग्राही द्वारा परिसम्पत्ति स्थापन/संचालन /व्यवहार करना।
- 5 वर्ष की अवधि के ऋण अदायगी।
- नियत पात्रता अनुसार पश्चात्वर्ती अनुदान समायोजन (Post Adjustment of Subsidy)

**बैंकों की सहभागिता :–**

- वाणिज्यिक बैंक/आर.आर.बी./कोऑपरेटिव बैंकों की सहभागिता
- समूह गठन होते ही बचत राशि हेतु बैंक खाते खोलना।
- प्रथम ग्रेडिंग में बैंक मैनेजर/सी.ई.ओ., जनपद पंचायत/ए.डी.ई.ओ./पी.सी.ओ. समिति द्वारा पात्रता निर्धारण।
- द्वितीय ग्रेडिंग में बैंक मैनेजर/सी.ई.ओ., जनपद पंचायत/ए.डी.ई.ओ./पी.सी.ओ. समिति द्वारा पात्रता निर्धारण।
- पात्र प्रथम एवं द्वितीय ग्रेडिंग एस.एच.जी. का अनुमोदन टी.एफ.सी. में (जिला स्तर पर)

**टॉस्क फोर्स कमिटी :–**

- टी.एफ.सी. में सी.ई.ओ. जिला पंचायत/एल.डी.एम./नाबार्ड/अन्य।
- द्वितीय ग्रेडिंग उपरांत ऋण प्रकरण बैंक शाखाओं में स्वीकृति हेतु प्रेषित।

**शासन (केन्द्र+राज्य) की भागीदारी :–**

- वित्त वर्ष के कुल आवंटन में केन्द्र हिस्सा – 75 प्रतिशत, राज्य हिस्सा– 25 प्रतिशत।

**कुल आवंटन में से :–**

- 60 प्रतिशत अनुदान राशि (1 प्रतिशत रिस्क फण्ड सहित)
- 10 प्रतिशत प्रशिक्षण
- 10 प्रतिशत चक्रीय राशि आर/एफ।
- 20 प्रतिशत अद्योसंरचना (Infrastructure)
- 1 प्रतिशत रिस्क फण्ड (Upto 5000/- का 10 प्रतिशत अति निर्धन का कर्ज पटाने हेतु)

**योजना मॉनिटरिंग :–**

- ऑनलाईन – जीओआई द्वारा।
- ऑनलाईन – राज्य द्वारा एवं मासिक बैठक।
- मासिक बैठक – जिला द्वारा।
- मासिक बैठक – जनपद स्तर।
- इसके अलावा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन की व्यवस्था कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/सहा. परियोजना अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/ए.डी.ई.ओ./पी.सी.ओ. द्वारा।

**बीमा सुविधा :–**

1. हितग्राही समूह बीमा योजना :–

   - योजना लागू 01.04.1988 से प्रभावशील।
   - 18 से 60 वर्ष आयु।
   - बीमा परिसंपत्ति वितरण दिनांक से।
   - बीमा अवधि 05 वर्ष या 60 वर्ष आयु तक।
   - मृत्यु (सामान्य)– रू. 5000/–
   - मृत्यु (दुर्घटना)– रू. 10,000/–
   - जीवन बीमा निगम राशि देगा।
   - प्रीमियम राशि – सामामजिक सुरक्षा कोष जीओआई से।

2. पशुधन बीमा (बैल/भैंस/गाय/बकरी/मुर्गी/सूअर इत्यादि) :–

- पशुधन क्रय करने के दिनांक बीमित अग्नि/बिजली/बाढ़/हड़ताल/बलवा/भूकम्प/अकाल से मृत विकलांग होने पर बीमा राशि।
- बीमा प्रीमियम रेट मास्टर पॉलिसी एग्रीमेंट के आधार पर।
- बीमित राशि का 2.25 प्रतिशत प्रीमियम– हितग्राही 1% (1.25%), शासन 0.75% (1.00%), बैंक 0.50% (नहीं देने पर),

- क्लेम फार्म / मृत्यु प्रमाण पत्र / टेग के साथ 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी की क्लेम राशि का समायोजन।
- बीमा राशि से नया पशुधन दिलाना (नियमित Repayment होने पर)
- हितग्राही द्वारा इंकार करने पर ऋण राशि का समायोजन एवं अनुपात में अनुदान समायोजन होन के बाद शेष राशि हितग्राही को।

## पात्र हितग्राही

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवार इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र है । लाभांवित हितग्राहियों में कम से कम 50 प्रतिशत अजा और अजजा के, 40 प्रतिशत महिलाएं और 3 प्रतिशत निःशक्तजन होगें । प्रत्येक विकासखण्ड में गठित समूहों में से 50 प्रतिशत समूह केवल महिलाओं के होगें ।

## हितग्राही चयन प्रकिया

स्वरोजगार पाने वालों का चयन ग्राम सभा व्दारा किया जायगा । चयनित हितग्राहियों को मूलभूत और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा । योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में उपलब्ध संसाधन, स्थानीय कौशल और बाजार की उपलबधता को दृष्टिगत रखते हुए 4–5 मुख्य गतिविधियों का तथा अधिकतम 10 गतिविधियां चयन की जावेगी ।

## योजना कियान्वयन की प्रकिया

योजना के क्रियान्वयन में ग्रुप / कलस्टर / प्रोजेक्ट एप्रोच अपनाई जाती है । योजना के अंतर्गत अनुदान पात्रतानुसार उपलब्ध करावाया जाता है, जबकि ऋण आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार उपलबध करवाया जा सकता है ।

## पंचायत संस्थाओं की भूमिका

ग्राम पंचायत स्तर पर गठित ग्राम सभाएं ही योजना हितग्राही चयन का कार्य करेगी

## सम्पर्क

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा

# // अनुदान सीमा (पात्रता) //

1. एस.सी. / एस.टी. में लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 प्रति सदस्य
2. सामान्य / पिछडा वर्ग में लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 7,500 प्रति सदस्य
3. विकलांग / परित्यगता / विधवा महिला सामान्य / अ.जा. श्रेणी) 10,000
4. समूह में एस.सी / एस.टी. में 50 प्रतिशत या अधिकतम् 1.25 लाख

# // लघु सिंचाई पर अनुदान //

1. लागत का 30 प्रतिशत सामान्य जाति के लिये अधिकतम् सीमा 30,000 सिंगल / समूह
2. लागत का 50 प्रतिशत अ.जा. / अ.ज.जा. के लिए अनुदान की कोई सीमा नही ।